<u>न्यायालयः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड भितरवार,</u>
<u>जिला ग्वालियर, म0प्र0</u>
(पीठासीन अधिकारी :– संजय जैन)

प्रकरण क्रमांक 52ए/2022

15-09-2025

वादी द्वारा श्री नवल श्रीवास्वत अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा श्री राकेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक–2 द्वारा श्री पंजाब सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

इस आदेश के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 सीपीसी दिनांकित 11.09.2025 का निराकरण किया जा रहा है।

वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस आशय का है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी क्रमांक–1 के विरूद्ध ग्राम भितरवार तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2509 रकवा 0.042 हैक्टेयर के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। भूमि सर्वे क्रमांक 2509 रकवा 0.042 के एवज में वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पचास हजार रूपये नगद एवं तीन लाख रूपये का चैक क्रमांक 443240 भारतीय स्टैट बैंक शाखा भितरवार के खाता क्रमांक 30665501394 का प्रतिवादी क्रमांक–1 से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–1 से कुल तीन लाख पचास हजार रूपये प्राप्त कर भूमि सर्वे क्रमांक 2509 रकवा 0.042 हैक्टेयर का आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक–1 को सुपुर्द कर दिया है। उक्त भूमि से वादी का संबंध सरोकार नहीं रहेगा तथा वादी, प्रतिवादी क्रमांक–1 को भूमि सर्वे क्रमांक 2509 रकवा 0.042 हैक्टेयर के आधिपत्य से भविष्य में बेदखल नहीं करेगा और न ही उक्त भूमि के संबंध में वादी या उसके वारिसान द्वारा किसी भी न्यायालय में स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई वाद प्रतिवादी क्रमांक–1 एवं उनके वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जावेगा।

उभयपक्ष का आवेदन संक्षेप में आगे इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क्रमांक 2509 रकवा 0.042 हैक्टेयर पर

प्रतिवादी क्रमांक–1 निर्माण कार्य करे, उपयोग व उपभोग करे अथवा नाप करावे उसमें वादी या उसके वारिसान अथवा अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही वादी या उसके वारिसान द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–1 के उपयोग व उपभोग एवं निर्माण कार्य में बाधा–व्यवधान पैदा करेगा तथा वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक–1 के उपयोग व उपभोग एवं निर्माण कार्य में बाधा–व्यवधान पैदा नहीं करेगा तथा वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक–1 का निर्माण कार्य उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 2510/2 रकवा 0.426 हैक्टेयर पर है जिसमें वादी किसी प्रकार की कोई बाधा–व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं करेगा। वादी को भविष्य में स्वत्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने पर वह भूमि सर्वे क्रमांक 2509 रकवा 0.042 हैक्टेयर के संबंध में कोइ विवाद वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 के मध्य नहीं रहा है।

उक्त आधार पर वादी को इस वाद के एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 को इस प्रतिवाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रतिवादी क्रमांक–2 के द्वारा उक्त आवेदन का जबाव ना देना व्यक्त कर आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया।

वादी की पहचान उनके अधिक्ता श्री नवल श्रीवास्तव द्वारा एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा द्वारा की गयी।

उभयपक्ष के राजीनामा कथन अंकित किये गये।

आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया और सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदन व कथन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के संबध में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 के मध्य समझौता होने तथा वादी द्वारा इस वाद के एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा इस प्रतिवाद के वापस करने की अनुमति चाही है। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 अब इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा इस सिविल वाद की विषयवस्तु के संबंध में नया वाद संस्थित करने की कोई अनुमति नहीं चाही गयी है।

अतः वादी को इस वाद के एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 को इस प्रतिवाद के प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती है और वादी का यह सिविल वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 का यह प्रतिवाद वापस लिये जाने से प्रकरण खारिज किया जाता है।

उभयपक्षों के बीच समझौता हुआ है, अतः खर्चे

के बारे में कोई आदेश नहीं किया गया।

व्यय तालिका बनायी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(संजय जैन)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

SANJAY JAIN

Digitally signed by SANJAY JAIN
Date: 2025.09.15 05:10:26 +0530